International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 4, April- 2017, pp. 161~166
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

भारत में संविद सरकारें सार–संक्षेप

डॉ. ब्रजेश कुमार त्रिपाठी

एसोसिएट प्रोफेसर

हीरा पी0जी0 कालेज, खलीलाबाद, संत कबीर नगर

विगत 25 वर्षों से संविद सरकारें भारतीय राजनैतिक व्यवस्था का अनिवार्य पहलू है। औपनिवेशिक विरासत एवं संविधान निर्माण सभा द्वारा जिस संसदीय शासन प्रणाली की परिकल्पना की गयी थी, उसमें मित्र भारतीय राजनैतिक व्यवस्था का विकास क्रम दर्शित हुआ है संविद सरकारें का अस्तित्वमान होना भी उसी का एक पहलू है। द्विदलीय प्रणाली के स्थान पर बहुदलीय प्रणाली के विकास ने इसे एक नया आयाम दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी तथ्य का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि भारतीय लोकतंत्र में गठबधंन सरकारों को विकास किस रूप हुआ है, क्या ये इस व्यवस्था का अनवार्य पहलू है, क्या ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूत होती परम्परा को प्रदर्शित कर रही है या इसे संकट ग्रस्त कर रही है। इस प्रकार के विश्लेषण में ऐतिहासिक रूप से 1967 से पूर्व, 1977–79 में गठित प्रयम संविद सरकार एवं 1989–99 तक गठबधन सरकारों का अस्थायित्व, तत्पश्चात् 99–2014 तक गठित यू.पी.ए.एन.एम.डी.ए. के नेतृत्व में गठित स्थायी सरकारें अध्ययन का विशिष्ट पहलू है।

संविद सरकार, मिली–जुली सरकार, गठबंधन सरकार आदि शब्द समानार्थी हैं। इनका प्रयोग संसदीय शासन प्रणाली में सरकार गठन के संदर्भ में किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ। औपनिवेशिक शासन एवं स्वतंत्रता संग्राम की संयुक्त विरासत के प्रभाव के प्रतिफल स्वरूप निर्मित भारत के संविधान में लोकतंत्र संचालन हेतु संसदीय शासन प्रणाली की संरचना को स्वीकार किया गया। इस प्रणाली का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें कार्यपालिका एवं विधायिका मिश्रित होते हैं। कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। इसे 'कैबिनेट' या मंत्रिमण्डलीय शासन प्रणाली के नाम से भी स्वीकारते हैं।

भारत में लोकतंत्र के आधुनिक संस्करण का प्रयोग स्वातंत्योत्तर भारत की संविधान रचना

के पश्चात् ही हुआ है। अतः विगत वर्षों में इसके प्रयोग के विविध पक्ष उभरें है जो भारतीय राजनीति व्यवस्था के विशिष्ट चरित्र का निर्माण कर रहें है। लोकतंत्र वास्तव में विविध हितों को साथ लेकर चलने की प्रकिया है। लोकतंत्र का सारतत्व मुख्यतः गठजोड़ रचना है, दलीय प्रणाली उसी के मुताबिक बनती एवं बिगड़ती रहती है।[1] लोकतंत्र के संचालन(संसदीय) की अनिवार्य शर्त दल प्रणाली है। संविद सरकारों का उदय संसदीय शासन प्रणाली के संचालन में अपनायी गयी राजनैतिक प्रक्रिया की ही उपज है। भारत में संसदीय लोकतंत्र का गठन, उसका संचालन एवं निमार्ण किस प्रकार होगा, यह एक स्पष्ट अवधारणा के रूप में विकसित हो चुका है। जब किसी समाज में राजनैतिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो समाज में प्रक्रिया के संचालकों द्वारा अपने सदस्यों की हित आकांक्षा की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। हित साधन की प्रक्रिया में अनेक तत्व प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यह भूमिका ही गठजोड़ को आमंत्रित करती है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त दल ही सरकार निर्माण करने की योग्यता रखता है। विशिष्ट परिस्थितियोंराजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक गठबधंन का निर्माण करते है।

दर असल'संसदीय शासन प्रणाली का 'वेस्ट मिन्स्टर प्रतिमान और भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोगों का विचार था कि भारतीय लोकतंत्र की यात्राा में द्विदलीय प्रणाली का विकास होगा जो संसदीय शासन प्रणाली के सफल संचालन का आधारभूत मानक है। लेकिन 'भारत ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली से जो बातें संविधान में अपनायी यथा व्यापक मताधिकार आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रीपरिषद के तहत मजबूत सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, बुनियादी वसूलों पर एकमत लेकिन सत्ता के लिए होड़ पाने वाली राजनैतिक दल प्रणाली, शासन योजना में विपक्ष की भूमिका को मान्यता, राज्याध्यक्ष एवं आधिकारीतंत्र की राजनैतिक तटस्थता,लोकप्रिय जनादेश सिद्धान्त को मान्यता आदि।[2] वे सभी भारत के परिप्रेक्ष्य में उस रूप में आगे नहीं बढ़ीं जिस रूप में ब्रिटेन में स्थापित हुई। क्योंकि बिट्रिश संसदीय प्रतिमानों के संचालन में वहाँ की प्रचालित परम्पराओं एवं अभिसमयों (ए. वी. डायसी) का प्रमुख स्थान है। सरकार एवं प्रणाली के बीच संबधों को निर्धारण इसी आधार पर होता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र ब्रिटेन जैसी प्रथाओं एवं परम्पराओं के अभाव के कारण संसदीय प्रणाली के सिद्धान्त एवं व्यवहार में खाई पैदा हो जाती है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रतिमान से भिन्न एवं सकारात्मक गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें संविद सरकारों की भूमिका एवं सकारत्मक पड़ाव भर है।

इस प्रकार संविद सरकारें भारतीय राजनैतिक व्यवस्था का अपरिहार्य अंग बन चुकी है अतःइनका अध्ययन विवेचन का सैद्धान्तिक पहलू भी उतना ही अनिवार्य है जितना इनके व्यवहारिक

पहलू। दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों के मिलकर सरकार बनाने को गठबधंन, संयुक्त या संविद अर्थ प्रयुक्ति में लाया जाता है। रोजर स्क्रूटन ने गठबधंन शब्द को परिभाषित करते हुए 'A dictionary of political Science' में लिखा है कि 'विभिन्न दलों में राजनीतिक पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों को आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है।' साधारणतया गठबंधन का अर्थ ऐसे समूह या संगठन या व्यक्ति से होता है जो किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति हेतु अस्थायी रूप से संगठित होते है। संसदीय प्रणाली में इस शब्द का प्रयोग उस अर्थ में होता है, जब विभिन्न राजनीतिक दल, निहित स्वार्थ समूह अथवा गुट नीति निर्णयों को निश्चित करने अथवा सत्ता प्राप्ति के लिये राजनैतिक समूह बनाते है। राजनीतिक अर्थ में गठबंधन का तात्पर्य सामान्य रूप से एक सामूहिक व्यवस्था से है, जिसके अन्तर्गत राजनीतिक दलों अथवा उसके सदस्य सरकार अथवा मंत्रिपरिषद् को गठित करने के लिए एक साथ होते हैं।[3]

विलियम एच. रिकर ने डेविड इस्टन को उधृत करते हुए स्पष्ट किया है कि गठबंधन सामान्यतया राजनीति निमार्ण के लिए विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन है। राजनीति को मूल्य के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है। अतः संविदा भी राजनीतिक सिद्धान्त का केन्द्रीय भाग है। विलियम गेम सन ने गठबंधन की परिभाषा देते हुए कहा है कि गठबंधन का अर्थ दो या दो से अधिक इकाइयों द्वारा मिश्रित प्रेरणा की स्थिति में किसी निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य की दृष्टि से साधनों के सम्मिलित प्रयोग से होता है।[4]

संसदीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत सरकार बनाने के लिए लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। राजनैतिक निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में एकाधिकार प्राप्त दल होने से संविद सरकार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि संविद सरकार के निर्माण की कोई परिस्थिति बनती है तो प्रत्येक घटक इस बात का परीक्षण एवं आत्मूल्यांकन करते है कि वे किससंयुति में हिस्सा लें। इस प्रक्रिया में घटक दलों की वरीयता का निर्धारण एवं विकल्प की तलाश अपनी गुटीयहित–राजनीति की राणनीति के तहत होता है। प्रत्येक घटक अपनी इस सीमा का सदैव ध्यान रखते हैं तथा बनने वाली साझेदारी में 'त्याग एवं सहयोग' की सीमा निर्धारित करते है। यह सीमा निम्न नामों से जानी जाती है।

1. न्यूनतम साझ्फा कार्यक्रम (Common, minimum programe)
2. शासन संचालन के सूत्र (Agenda for governance)
3. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum need programe)

गठबंधन की प्रक्रिया के बारे में प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी ने लिखा कि 'गठबंधन' की

प्रक्रिया की उत्तपत्ति में समाज का मूलभूत परिवर्तन मुख्य कारण होता है जब कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है, तब यह परिवर्तन ऐसी परिस्थिति उत्त्पन्न कर देता है कि गठबंधन अनिवार्य बन जाता है। किसी भी देश की राजनीति वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज होती है।

आधुनिक समाज में जिसके सदस्यों की एक बहुत बड़ी संख्या आर्थिक, प्रजातीय, धार्मिक एवं उपजातीय पहचान सुरक्षित रखती है, के हित सदैव एक दूसरे से असहमत बने रहते है। यह असहमति पूर्ण संघर्ष समाज के विभेदित घटको के बीच किसी सर्वमान्य सहयोग हेतु सरल अधिनिर्णय तक पहुँचनें नहीं देते है। जबकि राजनीतिक दल हितों सर्वेक्षण, निदर्शन एवं समुच्चीकरण के कारण ऐसा कर पाते है। इस प्रक्रिया में राजनीति दलों द्वारा एक उभयनिष्ठ आधार प्रस्तुत किया जाता है एवं दल के सापेक्ष उभयहित (Common Interest) को प्रस्तुत किया जाता है। सरकार के स्तर पर गठबंधन इसी प्रकार का कार्य प्रतिपादित करता है।

इस प्रकार के राजनीति वातावरण में सरकारी स्तर पर, मार्गों के निर्देशन एवं सम्मुची करण का कार्य एक समीतिद्वारा संपादित किया जाता है जिसे स्टीयरिगं कमेटी या समन्वय समिति कहते है। वहुधा देश की परिस्थितियों में ज्ञात हितों के भण्डार से उपेक्षाकृत बड़ी सामान्य सहमति के मुद्दों की पहचान की जाती है चिन्हित मुद्दें चुनावपूर्ण गठबंधन की दशा में चुनावी घोषणा में व्यक्त किये जाते है। चुनाव के पश्चात् वह घोषणा में पत्र 'ऐजेंड़ा फॉर गवनैन्स' में प्रस्तुत किया जाता है।

भारत जैसे सांस्कृतिक विविधा संपन्न देश में राजनीतिक दलों के व्यक्तिगत प्रभुत्व को बनाए रखना मुश्किल नहीं असंभव भी है। गठबंधन की भावना एक लंबी राजनीति सहयात्रा के बाद आती है। भारतीय संदर्भ में संविद सरकार कोई नई अवधारणा नहीं है। दलीय प्रारूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता से पूर्व सामाजिक गठबंधन का प्रतिनिधित्व करती थी। संविद सरकारों के दृष्टिकोण से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की निम्नलिखित समय–सीमाये है।

1. 1977 के पहले की सरकारें।
2. 1977–79 में जनता दल सरकार।
3. 1989–99 तक अस्थायी गठबंधन सरकारें।
4. 1999–2014 तक स्थायी गठबंधन सरकारें।

स्वतंत्र भारत में गठबंधन सरकारों की स्थापना राज्यों के स्तर पर प्रारंभ हुई। 1952 में राज्यों (मद्रास, पेप्सू, उड़ीसा, कोचीन) में गठबंधन सरकारों की स्थापना हुई। लेकिन कांग्रेस के एकाधिकार के बीच यह प्रभावी परम्परा के रूप में स्थापित नहीं हुआ। 1967 का समय कांग्रेस के एकाधिकारी रवैये में पतन का आरम्भ काल माना जाता सकता है, जब आठ राज्यों में गैर–कांग्रेसी दलों की

सरकारें आस्तित्व में आयी। स्वतंत्रता आन्दोलन से ही कांग्रेस का निर्माण सम्पूर्ण भारतीय विविधता को आत्मसात् करने वाला रहा है, लेकिन 1952 के पश्चात् एक स्वतंत्र राजनैतिक दल के रूप में अस्तित्व आने एवं पं. जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व से आच्छादित होने के साथ ही यह स्पष्ट होने लगा कि स्वतंत्रापूर्व कांग्रेस की पचाने (आत्मसातीराण)की क्षमता स्वातंत्योत्तर राजनीति में कम हो रही थी। दल के अन्दर केन्द्रीकरण की प्रवृत्तिदेखने को मिलती है। केन्द्र से राज्य तक का नेतृत्व 'व्यक्तिवाद' के सहारे संचालित होता हुआ दिखता है। भारत में दल प्रणाली के विकास का यह रवैया ही अन्य दलों में भी रहा है।दल प्रणाली लोकतंत्र की अनिवार्यता है, इसलिए राष्ट्रीयदल बने, लेकिन दलों के भीतर लोकतंत्र का विकास आज तक नहीं हुआ। 1967 में राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सफलता, कांग्रेस का एकाधिकारवादी रवैया, लोहिया, जयप्रकाश का 'गैर कांग्रेसवाद' के नारे ने विविध हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों को एक मंच पर उपस्थित किया एवं 1977 में भारत में पहली बार संयुक्त विपक्ष को सत्ता पक्ष में बैठने का मौका मिला। लेकिन यह गठबंधन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, स्वार्थलोलुपता की भेंट चढ़गया और पुनः 1980 में ही कांग्रेस को पूर्ण सत्ता प्राप्ति हुई। कांग्रेस के इस आगमन को रूडोल्फ एवं रूडोल्फ उसका पुर्नजीवन स्वीकार नहीं करते वरन् उनकी दृष्टि में यह विपक्ष की कांग्रेस की कमजोरी का लाभ न उठा पाने की असफलता है।

1989 के बाद की राजनैतिक परिस्थिति करीब 1999 तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को ज्यादा विचलित करने वाली एवं निराशा जनक तस्वीर पेश करती है। 1999 से 2014 के बीच तीन प्रधानमंत्री हुए जबकि 1989–99 के दस वर्षों में इस देश में पांच बार चुनाव एवं छः प्रधानमंत्री बने। उपरोक्त दशक भारतीय राजनीति में अस्थिरता एवं संसदीय प्रणाली के असफलता का उपख्यान रही है। 1989 से क्षेत्रीय दलों एवं बी. जे. पी. के उभार के कारण काग्रेंस निरन्तर पतनोन्मुरव रही है। कांग्रेस का हाल भारतीय संसदीय प्रणाली के इतिहास में द्विदलीय व्यवस्था के विकास के अवरोध का संकेतक भी है जिसे संसदीय व्यवस्था के संचालन की अनिवार्य शर्त माना जाता है। बहुदलीयव्यवस्था के विकास ने भारत में संविद सरकारों की पृष्ठ भूमि तैयार की है। 1989 के बाद गठित गठबंधन सरकारों की प्रवृत्ति गैर कांग्रेसवाद न होकर विविध हितों या दलों की सत्ता प्राप्ति का, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सहभागिता का सकारात्मक एवं नकारात्क उभार है। जहाँ एक ओर इस दौर की संविद सरकारें अवसरवादिता का उपाख्यान रही है, वहीं राष्ट्रीय हितो को लेकर संयोजित एवं विखरती हुई दिखती है।

1999 के बाद से संविद सरकारो का दौर स्थिरता एवं संतुलन की ओर बढ़ा है यद्यपि अवसरवादिता एवं विरवण्डन के तत्व अभी भी मौजूद है तदापि केन्द्रीय स्तर पर 'गैर कांग्रेसवाद' एवं गैर भाजपावाद।[5]जैसी दो नकारत्मक वृत्तियाँ अलग–अलग संयोजित होकर गठबंधन की भावना

को स्थिरता प्रदान किये हुए हैं। लेकिन संविद राजनीति की वर्तमान दशा भी सकारत्मक राजनीतिक दृष्टिकोण का कम अंशों में ही प्रतिनिधित्व करती है। नकारात्मक प्रवृत्तियाँ यथा भष्ट्राचार,साम्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद अभी भी इस गठबंधन राजनीति की संचालिका वृत्ति है।

साराशतः गठबंधन को भारतीय राजनैतिकव्यवस्था का स्थायी चरित्र मानकर कुछ विशिष्ट पहलुओं पर पुर्नविचार कर इसे सकारात्कमक दिशा प्रदान की जा सकती है यथा सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव, लोकतंत्र आधारित राजनैतिक संस्कृति पर विकासइत्यादि 'एक हद तक यह कहा जा सकता है कि गठजोड़ की राजनीति काफी समय तक टिकेजी राजनीतिक दलों से लोगों का मोह भंग हो चुका है और किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना दूर–दूर तक नहीं दिखाई देती त्रिशंकु सरकारे ही बनती रहेगी जबतक ऐसा होगा। गठजोड़ की राजनीति एवं ग्रास रूटपाटिटिम्स दोनों का महत्व बना रहेगा।[6] यह कहा जा सकता है कि बहुलतावादी राज्यों जहाँ यथास्थितिवादी एवं परिवतर्नवादी दल हो, जिनके करण समाज में उन लक्ष्यों की पूर्ती के लिए संघर्ष संभव हो वहाँ इन विविध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हे तुगठबंधन सरकारे आवश्यक है। अनुभव एवं समय से यह सुनिश्चित हुआ है कि गठबंधन सरकारे भी स्थायित्व प्रदान कर सकती है।

संदर्भ सूचीः–

1. भारतमें राजनीति कल और आज, रजनी कोठारी, वाणी प्रकाशन
2. राजनीति की किताब, रजनी कोठारी सं. अभय कु. दूवे. सी.एस.डी.एस.
3. द. थ्योरी ऑफ पोलिटिकल कोएलीशन विलियम एच. रिकर, न्यू हैवेन पेल यूनिवर्सिटी प्रेस, अध्याय 1
4. इण्टर नेशनल एनसाइक्लोपिडिया आफ द सोशल साईसेज जिल्द 2 पृष्ठ 530–31
5. भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाः दशा एवं दिशा एन.एच.गहलोत
6. भारत में राजनीति कल और आज,रजनी कोठारी, वाणी प्रकाशन